

बिहार सरकार  
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

ज्ञापांक - 6/वि01-1034/04 - 59

पटना, दिनांक - 06/01/09

प्रेषक,

पी0 जयशंकर,  
प्रधान सचिव,  
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग,  
बिहार, पटना ।

सेवा में,

सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियंता (यंत्रिक सहित)

सभी अधीक्षण अभियंता (यंत्रिक सहित)

विषय:- एकल निविदा के संबंध में ।

महत्त्व,

लोक निर्माण संहिता के नियम - 163 में यह प्रावधान है कि एकल निविदा का निष्पादन एक प्राधिकार उपर से यह अनुमति प्राप्त कर किया जाय कि निविदा आमंत्रण में पूरी प्रक्रिया का अनुपालन हुआ है और निविदा सूचना का प्रचार-प्रसार समुचित रूप से किया गया है । जब कि क्षेत्रीय स्तर से प्राप्त एकल निविदा निष्पादन की अनुमति हेतु मुख्यालय को प्राप्त हो रही हैं उन सभी में तकनीकी बीड के साथ-साथ दर बीड भी खोल दिया जा रहा है और संबंधित संवेदक से दर वार्ता भी कर लिया जा रहा है । यह नियम के मूल भावना के बिल्कुल विपरीत है । जब दर वार्ता करने वाले प्राधिकार को यह ज्ञात ही नहीं है कि इस निविदा के निष्पादन की अनुमति प्राप्त होगी या नहीं तो किस परिस्थिति में संवेदक से दर वार्ता किया जाता है ।

कृपया भविष्य में जब कभी भी एकल वैध निविदाये प्राप्त हो तो उसे तकनीकी बीड खोलने के उपरांत ही प्रक्रिया के अनुपालन एवं प्रचार प्रसार के साक्ष्य सहित सक्षम प्राधिकार को अनुमति हेतु भेजी जाय । जब सक्षम प्राधिकार से अनुमति प्राप्त हो जायेगी तभी आगे की कार्रवाई की जा सकेगी । कृपया इसका कठोरता से पालन किया जाय । ताकि भविष्य में किसी प्रकार की चूक नहीं हो ।

द्विधासगाजन

(पी0 जयशंकर)  
प्रधान सचिव

ज्ञापांक - 59

पटना, दिनांक - 06/01/09

प्रतिलिपि:- सभी कार्यपालक अभियंता (यंत्रिक सहित) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई

हेतु प्रेषित ।

(पी0 जयशंकर)

प्रधान सचिव